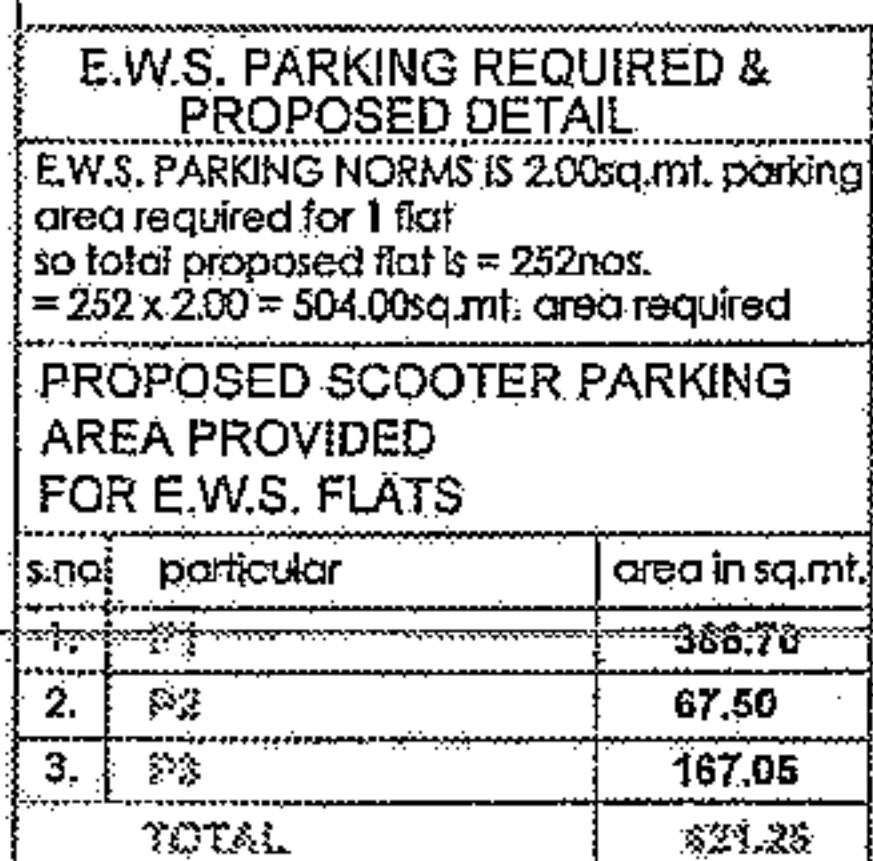




NORTH

PROPOSED PARKING DETAIL AREA WISE AS PER NEW NORMS

आवक (विशेष) की आधार पर निर्धारित की जायेगी
सड़क की विशेष अवधि निर्धारित

2.1.2.1. AREA REQUIRED FOR FLAT HAVING AREA 50 TO 100 sq.mt.

S.NO	UNIT TYPE	FLOORS AREA	TOTAL NO OF UNIT	PARKING NORMS	TOTAL E.C.S
1.	TYPE -3	71.24	76	1.00	76
2.	TYPE -4	61.22	67	1.00	67
3.	TYPE -5	54.92	58	1.00	58

आवक (विशेष) की आधार पर निर्धारित की जायेगी
सड़क की विशेष अवधि निर्धारित

2.1.2.2. AREA REQUIRED WHEN FLAT AREA BELOW 50.00 sq.mt.

S.NO	UNIT TYPE	FLOORS AREA	TOTAL NO OF UNIT	AREA REQUIRED (2.00sq.mt. scooter per parking space)	TOTAL E.C.S
1.	TYPE -1	43.51	171	2.00 x 171 = 342.00 sq.mt.	171

आवक (विशेष) की आधार पर निर्धारित की जायेगी
सड़क की विशेष अवधि निर्धारित

2.1.2.3. BLOCK - B

S.NO	UNIT TYPE	FLOORS AREA	TOTAL NO OF UNIT	AREA REQUIRED (2.00sq.mt. scooter per parking space)	TOTAL E.C.S
1.	TYPE -1	43.51	171	2.00 x 171 = 342.00 sq.mt.	171

आवक (विशेष) की आधार पर निर्धारित की जायेगी
सड़क की विशेष अवधि निर्धारित

2.1.2.4. BLOCK - C

S.NO	UNIT TYPE	FLOORS AREA	TOTAL NO OF UNIT	AREA REQUIRED (2.00sq.mt. scooter per parking space)	TOTAL E.C.S
1.	TYPE -2	67.30	30	1.00	30
2.	TYPE -4	67.32	18	1.00	18

आवक (विशेष) की आधार पर निर्धारित की जायेगी
सड़क की विशेष अवधि निर्धारित

2.1.2.5. BLOCK - D

S.NO	UNIT TYPE	FLOORS AREA	TOTAL NO OF UNIT	AREA REQUIRED (2.00sq.mt. scooter per parking space)	TOTAL E.C.S
1.	TYPE -2	67.30	95	1.00	95
2.	TYPE -4	64.22	57	1.00	57

आवक (विशेष) की आधार पर निर्धारित की जायेगी
सड़क की विशेष अवधि निर्धारित

2.1.2.6. BLOCK - E

S.NO	UNIT TYPE	FLOORS AREA	TOTAL NO OF UNIT	AREA REQUIRED (2.00sq.mt. scooter per parking space)	TOTAL E.C.S
1.	TYPE -1	43.51	30	2.00 x 30 = 75.00 sq.mt.	30

आवक (विशेष) की आधार पर निर्धारित की जायेगी
सड़क की विशेष अवधि निर्धारित

2.1.2.7. BLOCK - X (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.8. BLOCK - Y (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.9. BLOCK - Z (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.10. BLOCK - W (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.11. BLOCK - V (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.12. BLOCK - U (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.13. BLOCK - T (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.14. BLOCK - S (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.15. BLOCK - R (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.16. BLOCK - Q (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.17. BLOCK - P (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.18. BLOCK - O (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.19. BLOCK - N (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.20. BLOCK - M (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.21. BLOCK - L (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.22. BLOCK - K (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.23. BLOCK - J (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.24. BLOCK - I (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.25. BLOCK - H (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.26. BLOCK - G (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.27. BLOCK - F (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.28. BLOCK - E (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.29. BLOCK - D (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.30. BLOCK - C (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.31. BLOCK - B (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.32. BLOCK - A (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.33. BLOCK - Z (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.34. BLOCK - Y (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.35. BLOCK - X (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.36. BLOCK - W (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.37. BLOCK - V (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.38. BLOCK - U (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.39. BLOCK - T (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.40. BLOCK - S (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.41. BLOCK - R (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.42. BLOCK - Q (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.43. BLOCK - P (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.44. BLOCK - O (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.45. BLOCK - N (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.46. BLOCK - M (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.47. BLOCK - L (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.48. BLOCK - K (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.49. BLOCK - J (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.50. BLOCK - I (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.51. BLOCK - H (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.52. BLOCK - G (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.53. BLOCK - F (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.54. BLOCK - E (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.55. BLOCK - D (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.56. BLOCK - C (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.57. BLOCK - B (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.58. BLOCK - A (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.59. BLOCK - Z (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.60. BLOCK - Y (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.61. BLOCK - X (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.62. BLOCK - W (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.63. BLOCK - V (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.64. BLOCK - U (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.65. BLOCK - T (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.66. BLOCK - S (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.67. BLOCK - R (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.68. BLOCK - Q (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.69. BLOCK - P (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.70. BLOCK - O (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.71. BLOCK - N (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.72. BLOCK - M (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.73. BLOCK - L (E.W.S.) FLATS = 252 nos.

2.1.2.74. BLOCK - K (E.W.S.) FLATS = 252 nos.</

PARKING REQUIREMENT DETAIL	
A. CONVENTIONAL PARKING - 1.25 e.c.s. required per 100sq.ft.	
= $1.25 \times 200 = 250$ e.c.s.	
B. VISITOR PARKING - 4.38 e.c.s. required per 100sq.ft.	
= $4.38 \times 200 = 876$ e.c.s.	
C. CONVENTIONAL PARKING - 2.0 e.c.s. required per 100sq.ft.	
= $2.00 \times 200 = 400$ e.c.s.	
D. VISITOR PARKING - 4.38 e.c.s. required per 100sq.ft.	
= $4.38 \times 200 = 876$ e.c.s.	
TOTAL E.C.S. REQUIRED :-	
= A + B + C + D	
= $250 + 876 + 400 + 876 = 2402$ e.c.s.	
VISITOR PARKING REQUIRED 10% OF PROPOSED PARKING = $438 \times 10/100$	
43.80 { say = 44 e.c.s. }	
NOTE :- 10% visitor parking will be provided in open & still = 44 e.c.s.	
visitor's parking is the extra part of 438 e.c.s.	

AREA WISE PARKING DETAIL

STILT AREA

STILT AREA = 3,373.45 sq.mt.

LESS STAIR, LIFT, RAMP, RETAINING WALL AREA & SCOOTER PARKING AREA

= 3,373.45 - 953.25

= 2,390.20 sq.mt

= 2,390.20 / 28 = 85.36 { say - 85 e.c.s }

UPPER BASEMENT AREA

BASEMENT AREA = 8,017.28 sq.mt.

LESS STAIR, LIFT, RAMP, RETAINING WALL AREA & SCOOTER PARKING AREA

= 8,017.28 - 747.51

= 7,269.78 sq.mt

= 7,269.78 / 32 = 228.00 { say - 228 e.c.s }

LOWER BASEMENT AREA

BASEMENT AREA = 9,579.17 sq.mt.

LESS STAIR, LIFT, RAMP, RETAINING WALL AREA

= 9,579.17 - 954.40

= 8,614.77 sq.mt.

= 8,614.77 / 32 = 270.45 { say - 271 e.c.s }

OPEN AREA

OPEN AREA = 4,874.69 sq.mt.

= 4,874.69 / 23 = 212.03 { SAY - 212 e.c.s }

Note : - maximum covering using concrete slab & car lifter in basement

PARKING PROVIDED		
1.	OPEN PARKING	61
2.	STILT PARKING	73
	a. normal parking	73
	total	73
1.	UPPER BASEMENT PARKING	280
	a. normal parking	154
	b. mechanical parking 2 tier = (ME1 to ME3) = 63 X 2 = 126e.c.s.	126
4.	LOWER BASEMENT PARKING	351
	a. normal parking	195
	b. mechanical parking 2 tier = (ME1 to ME78) = 78 X 2 = 156e.c.s.	156
TOTAL		765
TOTAL (E.C.S) PROVIDED = 765 NO. E.C.S		

10% VISITORS PARKING PRELIMINARY
IN OFFICE = 2500.0 (VI to VIS)
IN STILT = 1900.0 (VI to VIS)
TOTAL = 4400.0

PROJECT: SUBMISSION DRAWING FOR THE PROPOSED AFFORDABLE HOUSING (PMAY) PROJECT "SCC BLOSSOM" AT KHASRA NO. - 1179 & 1180 VILLAGE NOOR NAGAR GHAZIABAD [U.P.].		
DEVELOPER:- M/s. - SCC BUILDERS PVT. LTD.		
DRAWING TITLE: STILT / GROUND / PARKING PLAN		
 		
DEVELOPERS		ARCHITECTS SIGN
 ANUJ AGARWAL ARCHITECTS OFFICE- A-244 KAUSHAMBI GHAZIABAD (U.P.) Ph:-0120 - 4165716 , 4563716 , 6454182 anuj@anujagarwal.com		
SCALE	DEALT BY A. CHAUHAN	DATE
DESIGN BY	CHECKED BY	DRG. NO.



कार्यालय: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (मानचित्र स्वीकृति पत्र)

पत्रांक : 188 मानचित्र सं.- 07/पीएमएवाई जीडीए/एम.पी./2018

दिनांक : 10/01/2019

मै. एस.सी.सी. बिल्डर्स प्रा.लि.

डायरेक्टर श्री विपुल गिरी,

8/201, सेक्टर-3 राजेन्द्र नगर,

गाजियाबाद।

आपके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में खसरा सं.-1179 व 1180 ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद पर प्रस्तावित प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) के अन्तर्गत एस.सी.सी. ब्लॉक के नाम से ग्रुप हाउसिंग मानचित्र सं.-07/PMAY GDA/M.P./2018 प उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 20.11.18 को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी है :-

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पाँच वर्ष तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे-नगर पालिका, जी.डी.ए.) किस अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई व्यय माँगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण की विकास करने व कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़कियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि सार्वजनिक सड़क की ओर न खुले।
7. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटीरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गंदे पानी व निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
9. यह मानचित्र उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकृत किये जाते हैं तो वह शर्त भी मान्य होगी।
10. सड़क पर अथवा लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
11. सुपरविजन एवं स्पेशीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
12. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. पर्यावरण की दृष्टि से उ.प्र. राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम प्रत्येक हेक्टेयर 50 पेड लगाना अनिवार्य होगा।
14. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में सम्पूति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा। भवन में उपयोग से पूर्व सम्पूति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा ए सम्पूति प्रमाण-पत्र से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं समस्त विकास कार्य पूर्ण कराने होंगे तथा बिना आज्ञा व प्रमाण-पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायेंगे।
15. 300 वर्गमी. या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग व व्यवस्था करना अनिवार्य है।
16. 12.00 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुस भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
17. संरचना सुरक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा तथा आप द्वारा संरचना सुरक्षा एवं भूकम्परोधी शासनादेशों व अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
18. निर्धारित 24.00 मी. सड़क में विस्तार हेतु स्थल पर रोड के भाग को छोड़ते हुए निर्माण/विकास कार्य किया जायेगा बाउण्ड्री वाल का निर्माण रोड वाइडेनिंग की भूमि के बाद किया जायेगा।
19. भू-स्वामित्व की समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। किसी वाद/विवाद की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा त तहसील एवं नगर निगम की संयुक्त टीम द्वारा भूमि चिह्नित कराकर ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
20. उक्त क्षेत्र में 75 प्रतिशत बाह्य विकास शुल्क जमा होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य कराये जायेंगे।
21. नाली, चकरोड, ग्राम समाज व निगम/सरकारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य/विकास कार्य नहीं किया जायेगा।
22. भू-गर्भ जल का उपयोग किये जाने से पूर्व सम्बन्धित विभाग की अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
23. अधिष्ठान एवं उसमें कार्यरत श्रमिकों का श्रम विभाग में नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक है।
24. निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु समुचित कवर का प्राविधान किया जाये, निर्माण सामग्री परिचालन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिरकाव किया जाय एवं डस्ट सस्पेंशन यूनिट व उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाये। इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण सामग्रियों को ले ज हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जाये।
25. नियमानुसार RERA में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
26. अतिरिक्त शर्त स्वीकृति पत्र के साथ संलग्न है एवं मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्प है, जिनका अनुपालन अनिवार्य रूप सुनिश्चित करना होगा।

संलग्नक : 1. एक सैट स्वीकृत मानचित्र।

मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक
गा.वि.प्रा., गाजियाबाद

पत्रांक : /मा.प्लान/

दिनांक /

प्रतिलिपि : प्रवर्तन खण्ड जोन-1 को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त शर्तें :-

- विकासकर्ता को स्थल के मध्य स्थित चकरोड एवं नाली की भूमि को राजस्व अभिलेखों एवं स्थल के अनुसार यथावत रखना होगा। नाली/चकरोड/सरकारी भूमि की एकजाई होने की दशा में एकजाई की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण अनुमत्य होगा।
- विकासकर्ता विकास प्राधिकरण के पक्ष में बन्धक/गिरवी रखी गयी भूमि पर विकास एवं निर्माण कर सकेगा, परन्तु उनका हस्तान्तरण तब तक नहीं कर सकेगा, जब तक कि ईडब्ल्यूएस आवासीय इकाइयों का निर्माण पूर्ण नहीं कर दिया जाता है।
- ईडब्ल्यूएस भवन का निर्माण न किये जाने की स्थिति में बन्धक रखी गयी भूमि व उस पर निर्मित सम्पत्ति को जब्त कर लिया जाएगा।
- विकासकर्ता द्वारा सक्षम अधिकारी योजना के अन्तर्गत ईडब्ल्यूएस भवनों का पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर शासकीय अभिकरण द्वारा चिन्हित लाभार्थियों को हस्तान्तरित करने के उपरान्त ही टी.डी.आर. प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा।
- योजना का विकास एवं निर्माण कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने हेतु विकासकर्ता द्वारा किये गये डवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
- योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित भवनों का स्थित तक निर्माण पूर्ण हो जाने पर स्थल का जी.पी.एस. कोऑर्डिनेट्स, तिथि एवं समय के साथ डिजिटल फोटोग्राफ्स प्राधिकरण में प्रस्तुत करने होंगे, जिसके साथ निर्धारित प्रारूप पर इस आशय का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि मौके पर फोटोग्राफ्स के अनुसार निर्माण किया गया है और यदि यह पाया जाता है कि स्वीकृत मानचित्र से इतर निर्माण कार्य कराया गया है, जिसमें सैटबैक परिवर्तित हुए हैं, तो ऐसे निर्माण को सील कर दिये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी तथा उसके लिए वह किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा नहीं करेंगे।
- योजना के समस्त आंतरिक विकास कार्य विकासकर्ता द्वारा अपनी लागत पर स्वयं क्रियान्वित किये जाएंगे।
- 24 माह में निर्माण पूर्ण न करने की स्थिति में ईडब्ल्यूएस योजना की लागत की 0.1 प्रतिशत प्रतिदिन (अधिकतम 60 दिन तक) की दर से पेनल्टी देय होगी। 60 दिन की अवधि के पश्चात् बैंक गारन्टी तथा बन्धक रखी गयी भूमि के जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।
- ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण शासनादेश सं.-1132/आठ-1-18-106 विविध/18 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, लखनऊ, दिनांक 12.07.18 के माध्यम से निर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र को सहभागिता से किफायती आवास योजना (वर्ष 2018-2021) के संलग्न-4 पर ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में दिये गये स्पेशलिकेशन्स अथवा शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन एवं संसदीय कार्य मंत्री, भारत सरकार के F.No. BMT/CR 'ET/2014/17/6/14 में वर्णित 'उभरती' किफायती, आवास प्रद्योगिकियों जो निम्नानुसार उल्लिखित है, के अनुसार करना होगा :-
 - 1- Monolithic Concrete Construction System Using Plastic/Aluminium Formwork.
 - 2- Monolithic Concrete Construction System Using Aluminium Formwork.
 - 3- Expanded Polystyrene Core Panel System.
 - 4- Industrialized 3-S System Using Cellular Light Weight Concrete Slabs & Precast Columns.
 - 5- Factory Made Fast Track Modular Building System- INSTACON.
 - 6- Glass Fibre Reinforced Gypsum Panel System.
 - 7- Advanced Building System EMMEDUE.
- शासनादेश सं.-1132/आठ-1-18-106 विविध/18 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, लखनऊ, दिनांक 12.07.18 के माध्यम से निर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास योजना (वर्ष 2018-2021) में वर्णित समस्त सम्बन्धित प्रतिबन्धों/शर्तों तथा गाइडलाइन्स का पालन किया जाएगा तथा यदि कोई भी गाइडलाइन्स निर्माता को पालन नहीं करता तो विकासकर्ता को अनिवार्य रूप से उनका भी पालन करना होगा।
- योजना के सम्बन्ध में समस्त विधिक एवं नियमानुसार वांछित अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा पर्यावरणीय स्वीकृति आदि विकासकर्ता द्वारा सक्षम प्राधिकारी से स्वयं प्राप्त किए जाएंगे।
- नियमानुसार रूप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा तथा रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेन्ट एक्ट) 2018 का अनुपालन होगा।
- योजना का क्रियान्वयन रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में पंजीकरण की तिथि से प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा तथा ईडब्ल्यूएस भवनों के भवनों का निर्माण (स्थल विकास सहित) 24 माह में पूर्ण करना होगा।
- विकासकर्ता द्वारा योजना के विकास/निर्माण कार्य पूर्ण किये बिना भूमि अथवा उसके किसी भी भाग का हस्तान्तरण/संव-लीजिंग अनुमत्य नहीं होगी। उल्लंघन की दशा में विकासकर्ता को प्रदत्त समस्त रियायतें/अनुमतिहरू समाप्त ले लिये जाएंगे।
- योजना के अनुसार करोड़ों, ट्रान्सफरेंस व एग.एस.डब्ल्यू. के डिस्पोजल हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट एक्ट, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। प्रस्तावित एस.टी.पी. का निर्माण एवं संचालन निर्धारित मानकों के अनुसार करना होगा।
- स्वीमिंग पूल का निर्माण जिलाधिकारी से अनापत्ति प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुमत्य होगा।

17. विकासकर्ता द्वारा विकसित योजना की सेवाओं का नगर निगम को हस्तांतरण होने तक इसके रख-रखाव हेतु आवश्यक निष्पादित करना होगा योजनास्तर्गत मिठा अपार्टमेंट्स में कॉमन सुविधाओं के रख-रखाव हेतु उप. अपार्टमेंट अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।
18. विकासकर्ता को बकाया शुल्क स्वयं नियमानुसार जमा कराने होंगे।
19. आवेदक द्वारा प्रस्तुत समस्त शपथ-पत्रों में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
20. भवनों का उपयोग पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जायेगा।
21. भवन की स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भूकम्परोधी होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन व ड्राइंग आईआईटी रुड़की/दिल्ली/समतुल्य संस्थान से वैद करवाकर प्रस्तुत करने के उपरान्त ही मानचित्र निर्गत किया जायेगा, तदनुसार ही स्थल पर भूकम्परोधी निर्माण स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में कराना होगा। भूकम्परोधी व्यवस्था के सम्बन्ध में शासन के निर्गत आदेशों, संख्या 570/9-आ-1-2001- भूकम्परोधी/2001 (आ.ब.) दिनांक 03.02.01, 772/9-आ-1-2001- भूकम्परोधी /2001(आ.ब.) दिनांक 13.02.01 तथा शासनादेश संख्या 3751/9-आ-1-1-भूकम्परोधी/2001(आ.ब.) दिनांक 20.07.01 में अंकित प्राविधानों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। उक्त के अतिरिक्त निम्न पूरक प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा :-
 (क) भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, अनुबन्धित किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाएँ करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गयी है उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
 (ख) भवन निर्माण में जो मुख्य सामग्रियाँ सीमेन्ट, स्टील/स्टोन ग्रेट ईटें, कोर्स सैन्ड एवं मार्टर तथा कंक्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैंपलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक व रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहे ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सके।
 (ग) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का निर्माण कार्य रुकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक विभिन्न शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे व तदनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जा सकेगी।
 (घ) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 4 फुट x 3 फुट आकार का एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरविजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उस स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्य स्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेंगे :-
 a) नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति
 b) अनुमोदित प्रयोगशाला/संस्थान द्वारा दी गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ
 c) अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चर की गणनाएँ एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल
 d) अधिकृत आर्किटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त समस्त वर्किंग ड्राइंग जिनमें सैक्शन एवं एलीवेशन तथा डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे
 e) भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी. एन्ड पी. का विवरण
 f) साइट इंजीनियर इन्स्पेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर
 g) सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवं सम्बन्धित रजिस्टर
22. स्थल पर 10 वृक्ष प्रति हेक्टेयर की दर से रोपित करना होगा।
23. फायर विभाग द्वारा जारी एन.ओ.सी. का पालन करना होगा एवं फायर विभाग द्वारा पूर्णता सम्बन्धी एन.ओ.सी. प्राप्त करने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
24. रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था का प्राविधान भवन की किनिंग का कार्य से पहले पूर्ण करना होगा।
25. रोड वाइडनिंग से प्रभावित भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण अनुमत्त न होगा तथा रोड वाइडनिंग के उपरान्त बनानी होगी।
26. 10 प्रतिशत पार्क जन सामान्य हेतु खुला रखना होगा।
27. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत सर्विस प्लान का अनुसार जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ जैसे-सड़क, सीवर, ड्रेन, ड्रेन डिपोजल, पानी के पानी की व्यवस्था इत्यादि का प्राविधान स्थल पर सुनिश्चित करना होगा।
28. गै-गैस एंड प्रोपेग मिने जाने पर साफ़ निर्माण क्षेत्र में सुरक्षा के उपरान्त बनानी होगी।
29. कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
30. 10 प्रतिशत पार्क के नीचे बेसमेन्ट का निर्माण अनुमत्त एवं उपरान्त बनानी होगी।

31. विकलांग व्यक्तियों हेतु नियमानुसार रैम्प का निर्माण करना होगा।
32. विद्युत व्यवस्था हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन से स्वयं कनेक्शन प्राप्त करना होगा।
33. नियमानुसार दर्शित पार्किंग स्थल पर ही पार्किंग करनी होगी, सड़क पर पार्किंग अनुमत्त नहीं होगी। प्रतिशत visitors parking हेतु आरक्षित रखनी होगी।
34. अन्दर के खुले स्थल/पार्क का उपयोग उसी रूप में करना होगा, अन्य उपयोग की दशा में दी गयी स्वीकृति निरस्त समझी जायेगी।
35. मानचित्र स्वीकृति, भू-स्वामित्व को प्रभावित नहीं करेगी। भू-स्वामित्व सम्बन्धी वाद विवाद होने तथा सरकारी अधिकारों को जानने की स्थिति में पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा तथा दी गयी स्वीकृत स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
36. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा यदि किसी शुल्क की मांग की जाती है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
37. विभिन्न मदों में प्राधिकरण में जमा की जाने वाली धनराशि को जमा किये जाने का उत्तरदायित्व आवेक का होगा, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही को मानना होगा।
38. सुविधाओं का निर्माण आवश्यक रूप से करना होगा।
39. बेसमेन्ट में मैकेनिकल वेंटीलेशन की व्यवस्था करनी होगी।
40. निर्माण के समय यदि कोई दुर्घटना, जान-माल की हानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
41. अपार्टमेन्ट एक्ट 2010 का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा मानचित्र निर्गत के एक माह के अन्दर विकासकर्ता प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।
42. सड़क के निर्माण के समय एलाइनमेन्ट परिवर्तन की दशा में विकासकर्ता को परिवर्तित एलाइनमेन्ट के अनुसार रोड वाइडेनिंग छोड़नी होगी तथा इस हेतु विकासकर्ता द्वारा किसी भी प्रकार का विवाद नहीं किया जायेगा तथा समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
43. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ.ए. संख्या 21/2014/ में अलग अलग तिथियों में पारित निर्देशों के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव कार्यालय उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1760/पी0एस0एम0एस0 /2016 दिनांक 11.11.2016 तथा विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या 3595/नौ-5-206-29रिट/ दिनांक 08.11.2016 से जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ निर्माण प्रक्रिया से जनित वायु प्रदूषण को रोकथाम हेतु निम्नलिखित के अनुपालन करना होगा -

1. Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building site including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the roads in any colony.
2. The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.
3. All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the atmosphere, in any form whatsoever.
4. The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in this regard.
5. The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
6. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.
7. Every owner and/or builder shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relating to dust emission.
8. It shall be the responsibility of every builder to transport construction material and debris waste to construction site or dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.
9. All builders/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprayers and green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.
10. Wind breaking walls around construction site.
11. All builders shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due care shall be maintained by the builders and transporters.
12. Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by the offices.
13. Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.
14. Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havoc.
15. The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic.
16. Inspection & Maintenance has definite utility on emission performance. Regular vehicle inspection to be done by the contractor to enhance the efficiency of work and to reduce the risk of unwarranted air pollution.
17. Fitness certification is a statutory requirement for commercial vehicles and public transport vehicles. Periodical fitness certification is once in a Year.
18. Pollution Under Control (PUC) certificates are required to be obtained every three months for all categories of vehicles. In case of diesel vehicles, free acceleration smoke is measured.
19. Life of vehicle should be inspected to avoid further air pollution.
20. Overloading is another big challenge and the shall be dealt by the proponent as well as State AP. check booth at entry points.

Tele: 011-25687194/ 5315

By Regd Post

HQ Western Air Command, IAF
Subroto Park
New Delhi-10

WAC/S 6369/1/28W/ATS (61/18)

14 September 2018

M/s SCC Builders Pvt Ltd
H-69, Sector-63,
Noida,
UP- 201301

NOC FOR CONSTRUCTION OF BUILDING

Sir,

1. Please refer your application on the subject.
2. The application has been examined under Gazette of India GSR 751 (E), Works of Defence Act 1903 and other relevant orders on the subject. This HQ has no objection for construction of **95 m** high building(s) for group housing project at Khasra No- 1179 & 1180, Village- Noor Nagar, Ghaziabad (UP) **subject to following conditions:-**
 - (a) The NOC with respect to Air Force Station Hindan is for construction of the subject building and cannot be used as document for any other purpose/ claim whatsoever including ownership of land.
 - (b) The applicant is responsible to obtain NOC/ all statutory clearance from the concerned authorities including approval of building plans. Clearance shall also be obtained separately from any other defence establishment in the vicinity of proposed construction.
 - (c) The site elevation and site coordinates provided by the applicant are taken for calculation of the permissible top elevation of the proposed structure. However, at any stage, if it is established that the actual site elevation and site coordinates are different from those provided by the applicant, the NOC will be invalid.
 - (d) The issue of the NOC is further subject to the provisions of Section 5(2) of GSR 751 (E) read in conjunction with sub section (1) and clause (O) & clause (R) of sub section 2 of section 5 read with section 9 (A) of Aircraft Act 1934.
 - (e) Vertical extent (highest point) of the building(s) proposed at coordinates mentioned overleaf **shall not exceed 307.3 m AMSL or 95 m AGL**. No extension or structure permanent or temporary (e.g. Cranes, Antennas, Mumtee, lightening Arresters, Lift machine room, Overhead water tank, Cooling towers, Sign boards, any attachment or fixtures of any kind) shall be permitted above the cleared height.

Corners	Latitude	Longitude	Site Elevation
A	28° 42' 20.28" N	77° 26' 09.02" E	211.8 m AMSL
B	28° 42' 18.12" N	77° 26' 11.78" E	212.3 m AMSL
C	28° 42' 13.86" N	77° 26' 08.02" E	211.4 m AMSL
D	28° 42' 15.72" N	77° 26' 05.36" E	211.8 m AMSL
Centre Point	28° 42' 17.14" N	77° 26' 08.52" E	211.4 m AMSL

(f) Standard obstruction lightings as per IS 5613 notification and International Civil Aviation Organization (ICAO) standards as stipulated in ICAO Annex-14 is to be provided by the company. The lights shall be kept 'ON' at all times. Provision shall be made for standby power supply to keep the lights 'ON' during power failure. Company shall carry out periodic maintenance of the lights to keep them in serviceable and visible condition.

(g) A garbage treatment plant shall be installed prior to the construction of buildings for the purpose of avoiding bird activity. The plant shall be shown to the Air Officer Commanding or his nominated representative at AF Station Hindan on installation.

(h) No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the airport shall be installed at the site at any time during or after the construction of the building.

(j) The commencement and completion of construction including installation of obstruction lights shall be intimated to Air Officer Commanding, AF Station Hindan. Failure to render these certificates within the stipulated time shall lead to cancellation of NOC.

(k) The NOC is valid for **Five years** from the date of its issue. If the building is not constructed and completed within this period, the applicant shall be required to obtain a fresh/ extension of NOC from Indian Air Force. Request for revalidation of NOC will not be entertained after the expiry of validity period.

Yours sincerely,



(KS Shekhawat)
Group Captain
Command ATC Officer

Copy to:

Air HQ (VB) (Wg Cdr Ops ATS-IV)

AF Stn Hindan (SATCO)

Internal:

C Nav O